हीवेट पॉलीटेक्निक, महानगर, लखनऊ

दिनांकः– 27.08.2025

छात्रवृत्ति सूचना

उ0प्र शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–119/2025/1400/26-03-2025 –1513982 दिनांक 18.06.2025 द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं तथा शासनादेश संख्या–115/2025/1370/26–03–2025–1741061 दिनांक 10.06.2025 द्वारा सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश दिए है।

उक्त के सम्बन्ध में शैक्षिक सत्र 2025–26 के संस्था में अध्ययनरत् समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि सूचना के साथ संलग्न दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की समय सारिणी एवं छात्रों हेतु महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों की सूची का अक्षरक्षः अनुपालन करते हुए निम्नलिखित विवरण के अनुसार छात्रवृत्ति के नवीन/नवीनीकरण का त्रुटिरहित ऑनलाइन आवेदन फार्म समयान्तर्गत भरना सुनिश्चित करें।

कम0 सं0	प्रकियात्मक कार्यवाही	छात्रवृत्ति आवेदन हेतु निर्धारित समयावधि
1.	छात्र/छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जाना।	10 जुलाई 2025 से 05 दिसम्बर 2025 तक
2.	ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	10 दिसम्बर 2025 तक

यदि किसी छात्र/छात्रा द्वारा उपरोक्तानुसार अपना छात्रवृत्ति फार्म नहीं भरा जाता है, तो किसी भी विषम परिस्थिति के लिए सम्बन्धित छात्र/छात्रा स्वयं उत्तरदायी होगा। छात्र/छात्राओं हेतु महत्वपूर्ण निर्देश इस सूचना के साथ निर्गत किया जा रहा है।

27/8/25
(राकेश चन्द्र)
प्रवक्ता/नोडल अधिकारी

27-8-25
(कुन्दन सिंह)
प्रधानाचार्य

प्रतिलिपिः–

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रभारी को इस आशय के साथ कि संस्था के समस्त छात्र–छात्राओं के Whatsapp ग्रुप पर उक्त सूचना शेयर करें।
2. संस्था वेबसाइट।
3. नोटिस बोर्ड।

उ0प्र0 छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति फॉर्म आवेदन करने के लिए छात्र/छात्राओं हेतु आवश्यक दिशानिर्देश

सत्र 2025–26 में संस्था में अध्ययनरत समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि यू0पी0 छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने के लिए संस्था द्वारा दिए गये Important user manual को पढ़कर ग्रीन हाईलाइट किये गये ऑप्शन को अपने डाक्यूमेन्ट्स से सही सही भरेंगे एवं नीचे दिए गए सारे निर्देशों को भली प्रकार से पढ़कर ही छात्रवृत्ति फॉर्म भरना आरम्भ करेंगें।

1. छात्रवृत्ति हेतु समस्त छात्र/छात्राओं को OTR (One Time Registration) करना अनिवार्य है, अन्यथा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन नहीं कर सकेंगें। OTR करने के लिए छात्र को आधार नम्बर, मोबाइल नम्बर एवं DiGiLocker login की आवश्यकता होगी।
2. समस्त छात्र/छात्राएं पिता के नाम से जारी आय प्रमाण–पत्र का प्रयोग करके अथवा नियमावली में दी गयी व्यवस्थानुसार ही आय प्रमाण–पत्र का प्रयोग करके ही छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करेंगे। छात्र के नाम से जारी आय प्रमाण–पत्र भरने वाले छात्रों का आवेदन संस्था स्तर से अग्रसारित नही किया जायेगा।
3. संस्था में अध्ययनरत् सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक वर्ग के छात्र/छात्राएं जिनके माता/पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2,00,000/– दो लाख से अधिक है एवं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राएं जिनके माता/पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2,50,000/– ढ़ाई लाख से अधिक है, ऐसे छात्र/छात्राएं छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है।
4. संस्था में अध्ययनरत छात्र–छात्राएं जिनके पिता/माता/अभिभावक सरकारी सेवारत् हैं अथवा वे किसी अन्य व्यवसाय से हुई आय का Income Tax Return फाइल करते हैं व जिनकी आय बिन्दु संख्या–1 में दिए गए नियम से अधिक है, ऐसे छात्र/छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने पर राजस्व वसूली के तहत कार्यवाही की जायेगी।
5. छात्र छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करते समय उसका रजिस्ट्रेशन पेज सावधानीपूर्वक सही–सही भरेंगें क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के उपरान्त उस पेज पर किसी प्रकार का संशोधन सम्भव नही होता है।
6. छात्रों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अपने शैक्षिक योग्यता के अंकपत्र/प्रमाण पत्र, जाति/आय प्रमाण पत्र (आनलाइन जारी), बैंक पासबुक, शिक्षण संस्थान में जमा की गयी शुल्क की रसीद, पाठ्यक्रम की अनिवार्य वार्षिक नान रिफण्डेबिल शुल्क धनराशि, वर्तमान विश्वविद्यालय/बोर्ड का अपना पंजीयन क्रमांक, आधार नम्बर, अपना पासपोर्ट साइज का फोटो आदि अभिलेख अपने पास एकत्रित कर लें। किसी भी डाक्यूमेन्ट का क्रमांक अथवा पंजीयन संख्या भरते समय सावधानी बरतें एवं दो बार ठीक से चेक करने के बाद ही उसे सेव करें। गलत फॉर्म सबमिट हो जाने पर फॉर्म सन्देहास्पद की श्रेणी में आ जायेगा।
7. हाई–स्कूल अंकपत्र एवं प्रमाण–पत्र में अंकित छात्र का नाम, पिता का नाम, लिंग एवं जन्म तिथि का उसी तरह आधार कार्ड में भी अंकन होना आवश्यक है। बिना आधार नम्बर के छात्रवृत्ति हेतु आनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाना सम्भव नहीं होगा। आधार नम्बर का डेमोग्रेफिक वेरीफिकेशन (नाम एवं जन्मतिथि का मिलान) होने के बाद ही छात्र अपने

आवेदन पत्र को आनलाइन टेम्पेरेरी लाक कर सकेगा। सभी छात्र आधार नम्बर को अपने मोबाइल नम्बर से लिंक करा लें एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों में खुले अपने खाता नं0 को अपने आधार से लिंक/सीड करवाकर NPCI मैपिंग भी अवश्य करा लें।

8. आय प्रमाण पत्र की मान्यता तीन वर्ष की होती है, अतः नवीन छात्रवृत्ति का फार्म भरने वाले छात्र/छात्राएं अपने नये बने आय प्रमाण पत्र का विवरण ही छात्रवृत्ति फार्म में भरेंगें, जो डिप्लोमा पाठ्यक्रम के तीनों वर्षों के लिए मान्य होगा।

9. समस्त छात्र अपने बैंक खाते को संचालित रखें, उसमें निर्धारित न्यूनतम बैलेन्स बनाये रखें, समय–समय पर bank transaction (deposit & withdrawal) करते रहें एवं खाते में धनराशि आने की लिमिट छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की प्राप्त होने वाली धनराशि से अधिक हो, इसे सुनिश्चित कर लें। यह भी ध्यान रखें कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क की धनराशि आने तक आपका खाता पूर्ण रूपेण संचालित रहे अर्थात बन्द न हो। **अन्यथा की दशा में छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि विभाग द्वारा स्वीकृत हो जाने पर भी बैंक में ट्रान्सफर न हो पाने की दशा में छात्र को प्राप्त नहीं हो पाती है।**

10. छात्र/छात्रा अपने बचत बैंक खाता संख्या (CBS) एवं कोड IFSC को भलीभांति जांच लें। अपनी बैंक शाखा का सही रूप से चयन करें। गलत बैंक शाखा/खाता संख्या या बिना आधार सीडेड खाता संख्या भरने पर पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से छात्र का आवेदन रिजेक्ट हो जायेगा तथा छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो पायेगी।

11. छात्र अपना आवेदन आनलाइन भरने के पश्चात एवं टेम्परेरी लॉक करने से पूर्व अपना सम्पूर्ण विवरण यथा हाई–स्कूल/ इण्टरमीडियट का रोल नम्बर, जाति/आय प्रमाण–पत्र का क्रमांक एवं आवेदन का क्रमांक, JEECUP का विवरण, छात्र द्वारा गत परीक्षा में प्राप्त अंकों का विवरण, वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की न्यूनतम योग्यता, पाठ्यक्रम का वर्ष तथा अवधि एवं पाठ्यक्रम का प्रकार, आय प्रमाण पत्र में अंकित आय, बैंक शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी. कोड एवं खाता संख्या, अनुमोदित वार्षिक शुल्क की धनराशि, आवेदन पत्र में अंकित की गयी कैटेगरी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग) आदि के किये गये अंकन की स्वयं सावधानीपूर्वक दो बार जांच करें तथा उसके उपरान्त ही छात्र अपने आवेदन पत्र को ऑनलाइन फाइनल सबमिट करेंगे।

12. सभी छात्र अपने आवेदन पत्र स्वयं भरें। आनलाइन आवेदन पत्र के लिये पासवर्ड स्वयं सृजित करें। यदि छात्र साइबर कैफे से आवेदन कर रहे हैं तो अपने सामने ही सभी प्रविष्टियों को आवेदन पत्र में भरवायें एवं जांच हेतु प्रिन्ट लेकर स्वयं समस्त प्रविष्टियों की दो बार जांच करें तथा यदि कोई त्रुटि है तो उसको सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र को ऑनलाइन सबमिट करें।

13. आवेदन पत्र सबमिट करने के तीन दिन बाद "संस्था हेतु फाइनल प्रिन्ट" ले सकेंगें, यदि आवेदन पत्र में जाति/आय प्रमाण–पत्र क्रमांक एवं आवेदन क्रमांक, आय तथा हाईस्कूल/इण्टरमीडियट के रोल नम्बर में कोई त्रुटि होगी तो उसे इन तीन दिनों में छात्र की लॉगिन पर प्रदर्शित हो जायेगा। त्रुटि सही करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान को सबमिट करने हेतु फाइनल प्रिन्ट लें एवं संस्थान से आवेदन पत्र जमा करने की पावती अवश्य लें।

14. सभी छात्र/छात्राएं अनिवार्य वार्षिक शुल्क अपनी फीस रसीद से ही अंकित करें।

15. छात्र प्रथम वर्ष में धनराशि न मिलने पर भी पूर्व आवेदन पत्र का अगली कक्षा में नवीनीकरण ही करें, न कि नवीन आवेदन पत्र भरें। पुनः नवीन फॉर्म भरने पर छात्र के दोनो ही फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जायेंगे। छात्रों को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र की कुछ अनिवार्य प्रविष्टियों को ही भरना है, जिसमें विगत परीक्षा के प्राप्तांक, पूर्णांक, अनिवार्य वार्षिक नान रिफण्डेबल फीस, मोबाइल नम्बर, वर्तमान विश्वविद्यालय/बोर्ड का अपना पंजीयन क्रमांक, आधार नम्बर, बचत बैंक खाता संख्या व IFSC कोड आदि भरना होगा। नवीनीकरण हेतु पात्र छात्र आवेदन पत्र में विगत कक्षा के प्राप्तांक को सही भरें क्योंकि अंकों का मिलान विश्वविद्यालय द्वारा अपलोड किये गये परीक्षाफल से किया जायेगा।

16. सिविल, इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल इंजी0 के छात्र/छात्राएं पाठ्यक्रम का प्रकार नियमित/Regular भरेंगे तथा इंर्फोमेशन टेक्नोलोजी के छात्र/छात्राएं पाठ्यक्रम का प्रकार स्ववित्तपोषित/Self Finance भरेंगे। पाठ्यक्रम के वर्ष का अंकन सही सही ध्यानपूर्वक करेंगे।

17. छात्र अपने आधार से लिंक मोबाइल नम्बर ही आवेदन पत्र में भरेंगे तथा स्वयं की ईमेल आई0डी0 ही फार्म में भरेंगे।

18. वर्तमान सत्र हेतु प्रचलित नियमावली, समय–सारिणी, प्रदर्शित सूचनायें एवं अन्य विस्तृत जानकारी हेतु https://scholarship.up.gov.in/ पर समय–समय पर सर्च करें एवं वेबसाइट पर निरन्तर प्रदर्शित हो रहे आवश्यक निर्देशों का भली–भांति पालन करें एवं समय–सारिणी में दी गयी समयावधि का उल्लंघन कदापि न करें अन्यथा आप वरीयता में नीचे चले जाने पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क पाने से वंचित हो सकते हैं।

19. छात्र अपने आवेदन की स्थिति अपने लॉगिन एवं पासवर्ड के माध्यम से स्वयं देख सकते हैं। छात्रवृत्ति आवेदन संस्था द्वारा अग्रसारित करने/वापस करने/रिजेक्ट करने पर आपके मोबाइल पर एस0एम0एस0 भी भेजा जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि संस्थान द्वारा आपका आवेदन पत्र निर्धारित समयावधि में अग्रसारित हो जाय।

20. शिक्षण संस्था में जमा करने के लिये आवेदन पत्र किसी अन्य व्यक्ति को न सौंपे। शिक्षण संस्थान में स्वयं जमा करें एवं पावती रसीद अवश्य प्राप्त कर लें।

21. अपने व्यक्तिगत विवरण/अभिलेख यथा–आधार नम्बर, हाईस्कूल का अनुक्रमांक व बैंक खाता संख्या तथा आवेदन हेतु सृजित पासवर्ड किसी से भी साझा न करें।

22. आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि का इन्तजार न करें।

23. अनुत्तीर्ण छात्र किसी भी दशा में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन न करें। छात्र गत वर्ष की वार्षिक परीक्षा का परीक्षाफल में पास या प्रमोटेड होने के पश्चात् ही छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करेंगें।

24. शिक्षण संस्थान में जमा करने हेतु आवेदन पत्र का फाइनल प्रिन्ट आउट बिना निकाले आवेदन पत्र भरा हुआ नहीं माना जायेगा। आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर समय–सारिणी में निर्धारित समयावधि में ही आवेदन पत्र में संशोधन करने के उपरान्त भी

संस्थान में जमा करने हेतु भी फॉर्म का संशोधित फाइनल प्रिन्ट निकाल कर संस्था में जमा करने एवं संस्था द्वारा अग्रसारित करने के उपरान्त ही संशोधित आवेदन पत्र मान्य होगा।

25. छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/गलत प्रविष्टियां भरने पर पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का ही होगा एवं भरा हुआ आवेदन पत्र संस्था स्तर से निरस्त कर दिया जायेगा तथा उक्त छात्र को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य भी नहीं होगी। यदि छात्र द्वारा आवेदन करते समय किसी अन्य छात्र का आधार नम्बर, हाई–स्कूल रोल नम्बर, बैंक खाता, आय एवं जाति प्रमाण–पत्र तथा कोई अन्य अभिलेख प्रयोग किया हुआ पाया जाता है तो छात्र का छात्रवृत्ति फार्म रिजेक्ट कर दिया जायेगा तथा पूरे पाठ्यक्रम के दौरान फिर से नवीन/नवीनीकरण का फार्म भरने की अनुमति नही मिलेगी।

26. शिक्षण संस्था में अध्ययनरत् छात्र, अपने छात्रवृत्ति आवेदन का नवीनीकरण तभी करेंगे जब उनका वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर प्रणाली होने पर दोनों सेमेस्टर के परीक्षाफल घोषित होने के उपरान्त अगली कक्षा में नियमानुसार प्रवेश पूर्ण कर लिया हो तथा शिक्षण संस्था केवल उन्हीं आवेदनों को अग्रसारित कर सकेगी, जिसमें छात्र तथा संस्था द्वारा अंकित प्राप्तांक/पूर्णांक में समानता होगी।

27. **नवीनीकरण के छात्र को केवल अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा का परीक्षाफल व नामांकन संख्या (Enrollment Number) अंकित करते हुये ऑनलाइन आवेदन किया जाना है। नवीनीकरण के आवेदन में कोई अन्य सूचना नहीं भरनी होगी।**

28. नवीन एवं नवीनीकरण श्रेणी के समस्त छात्र समय–सारिणी में निर्धारित समयावधि की सीमा के अन्तर्गत ही प्रत्येक दशा में आवेदन पत्र भरना एवं सबमिट करना सुनिश्चित करें एवं हार्ड कापी समस्त संलग्नकों सहित संस्था में जमा करना सुनिश्चित कर लें एवं प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त कर लें। छात्र यह भी सुनिश्चित कर लें कि संस्थान द्वारा समय–सारिणी में दी गयी निर्धारित समयावधि में ही आवेदन पत्र अग्रसारित कर दिया जाय।

- हाई स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की फोटो प्रति।
- गतवर्ष उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र की फोटो प्रति।
- आय प्रमाण–पत्र की फोटो प्रति एवं नेट सत्यापित फोटो प्रति।
- जाति प्रमाण–पत्र की फोटो प्रति एवं नेट सत्यापित प्रति।
- संस्था में जमा शुल्क रसीद की फोटो प्रति।
- बैंक पास बुक की फोटो प्रति।
- गैप सर्टिफिकेट (यदि दो कक्षाओं के बीच गैप हो तो तद्आशय का स्वप्रमाणित शपथ पत्र)
- आधार कार्ड की फोटो प्रति।
- अपने पिता/अभिभावक के पैन कार्ड (PAN Card) की फोटोप्रति।
- अपने छात्रवृत्ति लॉगिन के होम पेज का प्रिन्ट (आवेदन फार्म के स्कूटनी रिजल्ट हेतु)।
- गत वर्ष प्राप्त की छात्रवृत्ति का ऑनलाइन स्टेटस की फोटोप्रति (यदि कोई हो तो)।

(सामान्य एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को उपरोक्त सूची में अंकित जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है।)

नोटः– छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने वाले छात्र–छात्रायें, छात्रवृत्ति की सूचना भली–भाँति पढ़ने के उपरान्त ही छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करेंगें, अन्यथा की दशा में छात्रवृत्ति के फार्म में त्रुटि हो जाने पर तथा फाइनल फार्म ऑनलाइन सबमिट हो जाने पर, छात्र/छात्रा का त्रुटिपूर्ण फार्म संस्था में अग्रेतर कार्यवाही हेतु जमा नहीं किया जायेगा।

mportant user manual for filling Renewal of scholarship form

(l all green highlighted fields very carefully with your documents and check it properly before submitting online)

शैक्षणिक विवरण

1-पाठ्यक्रम का नाम:	DIPLOMA ENGG. 3 YRS GROUP 4		
2-पाठ्यक्रम का ब्रांच:	DIPLOMA IN SELECT YOUR BRANCH		
3-पाठ्यक्रम का प्रकार:	नियमित / self finance	4-कक्षा का वर्ष एवं अवधि:	current year and total duration of course
5-प्रवेश लेटरल(Lateral) इंट्री के आधार पर है	NO	6-आवासीय / दिवा छात्र:	दिवा छात्र
7-पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि:	Admission date of 1st year	8-पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि:	Admission date of current session
9-विश्वविद्यालय/बोर्ड/एफिलिएटिंग एजेंसी में पंजीयन क्रमांक	fill your enrollment number	10-विश्वविद्यालय/बोर्ड/एफिलिएटिंग एजेंसी का नाम:	U.P Board Of Technical Education
11-क्या व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों/मेरिट के आधार पर हुआ है:		12-पाठ्यक्रम की पात्रता:	हाई स्कूल
13-क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश (UPSEE(AKTU)/JEECUP/NEET) के माध्यम की प्रवेश परीक्षा से हुआ है	YES	14-प्रवेश परीक्षा प्रकार	JEECUP
15-कॉउंसिलिंग नंबर	Fill your JEECUP roll number	16-प्रवेश परीक्षा वर्ष	Fill year of your Entrance exam
17-प्रवेश परीक्षा में प्राप्त रैंक	Fill Rank of your Entrance	18-प्रवेश परीक्षा में प्राप्त कट-आफ अंक	Fill Marks of your Entrance Exam

19-विगत वर्षों के शैक्षिक योग्यता (हाई स्कूल एवं अन्य उच्चतर कक्षाओं) का विवरण

जाति एवं आय विवरण

Fill the currect details of your Income & Caste Certificate (Income certi. should not old more than Three years.

25-जाति प्रमाणपत्र क्रमांक		26-जाति प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि:	
27-जाति प्रमाण पत्र आवेदन फार्म संख्या:			
28-छात्र / छात्रा के परिवार की सभी स्रोतों से आय (रू0):		29-आय प्रमाणपत्र क्र.	
30-आय प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि:		31-आय प्रमाण पत्र आवेदन फार्म संख्या:	

बैंक विवरण

Fill the currect details of your bank A/C (Bank a/c should be seeded with aadhar number and a/c have atleast minimum Balance)

32-बैंक का नाम: (जहाँ छात्र / छात्रा का खाता है)	Bank Name	33-जनपद का नाम: (जहाँ छात्र / छात्रा का खाता है)	Lucknow
34-ब्रांच का नाम:	Branch name	35-छात्र/छात्रा का बैंक खाता सं0:	Your bank A/C number
36-आई०ऍफ़०एस० कोड:	IFSC CODE	37-छात्र/छात्रा का बैंक खाता पर अंकित नाम:	Fill your currect name

शुल्क सम्बंधित विवरण

38(i)-अनुमोदित वार्षिक नान रिफण्डेबिल अनिवार्य शुल्क:	Fee for Regular course Rs. 19440 and for Self Finance (IT) Rs. 26010

गत वर्ष का विवरण

Update your last year result.

39(i)-गत वर्ष का परीक्षाफल:		(ii)-गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली:	Semester exam
(iii)-गत वर्ष की अंक प्रणाली:	वार्षिक परीक्षा अंक प्रणाली	(iv)संस्था द्वारा अंकित पूर्णांक	
(v)-गत वर्ष का पूर्णांक		(vi)-गत वर्ष का प्राप्तांक	
(vii)-गत वर्ष का प्रतिशत		(viii)-शिक्षण संस्थान का नाम	HEWETT POLYTECHNIC LUCKNOW

Important user manual for filling Fresh scholarship form

(Fill all green highlighted fields very carefully with your documents and check it properly before submitting online)

शैक्षणिक विवरण

1-पाठ्यक्रम का नाम:	DIPLOMA ENGG. 3 YRS GROUP 4		
2-पाठ्यक्रम का ब्रांच:	DIPLOMA IN SELECT YOUR BRANCH		
3-पाठ्यक्रम का प्रकार:	नियमित / self finance	4-कक्षा का वर्ष एवं अवधि:	current year and total duration of course
5-प्रवेश लेटरल(Lateral) इंट्री के आधार पर है	NO	6-आवासीय / दिवा छात्र:	दिवा छात्र
7-पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि:	Admission Date of 1st Year	8-पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि:	Admission date of current session
9-विश्वविद्यालय/बोर्ड/एफिलिएटिंग एजेंसी में पंजीयन क्रमांक	Fil Enrollment number alotted from Board of Technical Education	10-विश्वविद्यालय/बोर्ड/एफिलिएटिंग एजेंसी का नाम:	U.P Board Of Technical Education
11-क्या व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों/मेरिट के आधार पर हुआ है:	Only Lateral Entry students will fill this field	12-पाठ्यक्रम की पात्रता:	हाई स्कूल (लेटरल इन्ट्री के छात्र इन्टरमीडियट भरेंगे।)
13-क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश (UPSEE(AKTU)/JEECUP/NEET) के माध्यम की प्रवेश परीक्षा से हुआ है	YES	14-प्रवेश परीक्षा प्रकार	JEECUP
15-काँउंसिलिंग नंबर	Fill your JEECUP roll no.	16-प्रवेश परीक्षा वर्ष	Fill year of your Entrance exam
17-प्रवेश परीक्षा में प्राप्त रैंक	Fill Rank of your entrance exam	18-प्रवेश परीक्षा में प्राप्त कट-आफ अंक	Fill Marks of your entrance exam
19-विगत वर्षों के शैक्षिक योग्यता (हाई स्कूल एवं अन्य उच्चतर कक्षाओं) का विवरण			

जाति एवं आय विवरण

Fill the currect details of your Income & Caste Certificate (Income certi. should not old more th Three years.

25-जाति प्रमाणपत्र क्रमांक		26-जाति प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि:	
27-जाति प्रमाण पत्र आवेदन फार्म संख्या:			
28-छात्र / छात्रा के परिवार की सभी स्रोतों से आय (रू0):		29-आय प्रमाणपत्र क्र.	
30-आय प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि:		31-आय प्रमाण पत्र आवेदन फार्म संख्या:	

बैंक विवरण

Fill the currect details of your bank A/C (Bank a/c should be seeded with aadhar number and a/c have atleast minimum Balance)

32-बैंक का नाम: (जहाँ छात्र / छात्रा का खाता है)	Bank Name	33-जनपद का नाम: (जहाँ छात्र / छात्रा का खाता है)	Lucknow
34-ब्रांच का नाम:	Branch name	35-छात्र/छात्रा का बैंक खाता सं0:	Your bank A/C number
36-आई०ऍफ़०एस० कोड:	IFSC CODE	37-छात्र/छात्रा का बैंक खाता पर अंकित नाम:	Fill your currect name

शुल्क सम्बंधित विवरण

38(i)-अनुमोदित वार्षिक नान रिफण्डेबिल अनिवार्य शुल्क:	Fee for Regular course Rs. 19440 and for Self Finance (IT) Rs. 26010

गत वर्ष का विवरण

Update your last year result.

39(i)-गत वर्ष का परीक्षाफल:		(ii)-गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली:	Semester/Annual (as applicable)
(iii)-गत वर्ष की अंक प्रणाली:	वार्षिक परीक्षा अंक प्रणाली	(iv)संस्था द्वारा अंकित पूर्णांक	
(v)-गत वर्ष का पूर्णांक		(vi)-गत वर्ष का प्राप्तांक	
(vii)-गत वर्ष का प्रतिशत	Percentage of your last qualification	(viii)-शिक्षण संस्थान का नाम	Fill the name of your last school

संख्या-115/2025/1370/26-3-2025-1741061

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
उ०प्र लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 10 जून, 2025

विषय- वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) भुगतान हेतु समय-सारिणी का शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-778-81/स0क0/शिक्षा-अ/9/3/2025-26 दिनांक 20.05.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) भुगतान हेतु समय-सारिणी का शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत प्रदेश के अन्दर एवं वाह्य प्रदेशों में (राजकीय/ अनुदानित शिक्षण संस्थानों के केवल सामान्य वर्ग के छात्र) संचालित शिक्षण संस्थाओं (उच्च कक्षाओं) द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने, ऑनलाइन आवेदन तथा छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु समय-सारिणी जारी की जानी है।

3- तत्क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शिक्षण संस्थाओं को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन से छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार समय-सारिणी निर्गत की जा रही है:-

क्र0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
	मास्टर डाटा लॉक की कार्यवाही	
1	<u>शिक्षण संस्था द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना</u> प्रदेश में स्थित नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही विश्वविद्यालय/ एफिलियेटिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाना तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना। वाह्य प्रदेश (सामान्य वर्ग) में स्थित शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करना तथा योजनाधिकारी/नोडल अधिकारी, मुख्यालय द्वारा पासवर्ड प्रदान किया जाना। मास्टर डाटा में पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं (प्रदेश व वाह्य प्रदेश) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/ विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	07 जुलाई, 2025 से 25 नवम्बर, 2025 तक

2	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा फीस आदि का सत्यापन प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना।	08 जुलाई, 2025 से 05 दिसम्बर, 2025 तक
3	मास्टर डाटा का सत्यापन समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रख्यापित नियमावलियों में उल्लिखित व्यवस्थानुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रदेश के अन्दर शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करके लॉक किया जायेगा। राजकीय/अनुदानित शिक्षण संस्थानों में तथा निजी शिक्षण संस्थानों में ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें सक्षम प्राधिकारी स्तर से शुल्क का निर्धारण किया गया है उन पाठ्यक्रमों की फीस को विश्वविद्यालय द्वारा लॉक की गयी फीस की सीमा के अधीन जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा लॉक करना।	09 जुलाई, 2025 से 12 दिसम्बर, 2025 तक
4	अल्पसंख्यक वर्ग हेतु एन.एस.पी. पोर्टल पर पंजीकृत निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों की मार्किंग किया जाना मास्टर डाटा में सम्मिलित व एन.एस.पी. पोर्टल पर पंजीकृत निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों की जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल पर मार्किंग किया जाना।	10 जुलाई, 2025 से 22 फरवरी, 2026 तक
	छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन/भुगतान आदि की प्रकिया	
5	छात्र द्वारा रजिस्ट्रेशन/ऑनलाइन आवेदन	10 जुलाई, 2025 से 20 दिसम्बर, 2025 तक
6	छात्र द्वारा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालना छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन फाइनल सबमिशन किया जाना।	12 जुलाई, 2025 से 23 दिसम्बर, 2025 तक
7	हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना आनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	24 दिसम्बर, 2025 तक
8	शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	11 जुलाई, 2025 से 10 जनवरी, 2026 तक
	प्रथम चरण	
9	शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्राओं के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	10 दिसम्बर, 2025 तक

संख्या-119/2025/ 1400/26-3-2025-1513982

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण/जनजाति विकास,
उ0प्र लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 18 जून, 2025

विषय-वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु समय-सारिणी का शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, समाज कल्याण के पत्र संख्या-1082-54/स0क0/शिक्षा-अ/9/3/2025-26 दिनांक 26.05.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु समय-सारिणी का शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) योजना से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का प्रदेश के अन्दर एवं वाह्य प्रदेशों में संचालित शिक्षण संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन से छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु समय-सारिणी जारी की जानी है।

3- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं के छात्र/छात्राओं को प्रथम चरण में 15 दिसम्बर 2025 तक, द्वितीय चरण में 24 जनवरी 2026 तक, तृतीय चरण में 10 मार्च 2026 तक व चतुर्थ चरण में 22 जून 2026 तक भुगतान किये जाने हेतु समयावधि निर्धारित है।

4- तत्क्रम में वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शिक्षण संस्थाओं को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उच्च कक्षाओं (कक्षा-12 से ऊपर) में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन से छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु निम्नानुसार समय-सारिणी निर्गत की जा रही है:-

क्र0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
	मास्टर डाटा लॉक की कार्यवाही	
1	**<u>शिक्षण संस्था द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना</u>** प्रदेश में स्थित नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही विश्वविद्यालय/ एफिलियेटिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाना तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना। वाह्य प्रदेश में स्थित शासकीय /शासकीय सहायता प्राप्त नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करना	07 जुलाई, 2025 से 25 नवम्बर, 2025 तक

9	**विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना** सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	10 नवम्बर, 2025 से 17 नवम्बर, 2025 तक
10	**एन0आई0सी0 द्वारा स्क्रूटनी** PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर उपलब्ध कराना।	10 नवम्बर, 2025 से 20 नवम्बर, 2025 तक
11	**जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना** जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	21 नवम्बर, 2025 से 02 दिसम्बर, 2025 तक
12	**मांग सृजन** जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना।	08 दिसम्बर, 2025 तक
13	**धनराशि का अन्तरण** जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड/एन0पी0सी0आई0 से मैप्ड बैंक खातों में धनराशि अन्तरित करने की कार्यवाही।	15 दिसम्बर, 2025 तक
	द्वितीय चरण	
14	**शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना** शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	10 दिसम्बर, 2025 तक
15	**विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना** सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	11 दिसम्बर, 2025 से 18 दिसम्बर, 2025 तक
16	**एन0आई0सी0 द्वारा स्क्रूटनी** PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर उपलब्ध कराना।	11 दिसम्बर, 2025 से 22 दिसम्बर, 2025 तक